रजिस्ट्री संख्या डी—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 17, 1985 (श्रावण 26, 1907)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 17, 1985 (SRAVANA 26, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	605
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1027
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और सांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1133
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विवरण तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	27907
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	627
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1711
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	137
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	605
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1027
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1133
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	27907
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	627
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1711
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	137
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 1985

सं० 80-प्रेज/85—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आशा प्रसाद पाण्डे,
पुलिस अधीक्षक,
अमृतसर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

15/16 मार्च, 1983 की रात को श्री ए० पी० पाण्डे, पुलिस अधीक्षक अमृतसर, ने सूचना मिलने पर शेर शाह मार्ग के मानावाला नाले के पुल पर कुछ उग्रवादियों को पकड़ने के लिये अपने नेतृत्व में एक नाका पार्टी को संगठित किया। पुलिस दल में एक पुलिस उप अधीक्षक, चार पुलिस उप-निरीक्षक, चार हैड कांस्टेबल और चौदह कांस्टेबल शामिल थे। श्री पाण्डे ने पुलिस दल को सावधानी पूर्वक तैनात किया और वाहनों की जांच करने के लिये वे सबसे आगे हुए। लगभग प्रातः 4.45 बजे अमृतसर की ओर से आती हुई एक जीप दिखाई दी। श्री पाण्डे ने पुलिस दल को सावधान किया और वाहन को रोकने के लिये आगे बढ़े। जीप की गति धीमी हो गई और अपनी सुरक्षा की परवाह किये बिना श्री पाण्डे जैसे ही वाहन की जांच करने वाले थे, जीप में बैठे हुए व्यक्तियों ने उन पर एक हथगोला फैंका और इसके बाद पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी। विस्फोट के परिणामस्वरूप श्री पाण्डे को बहुत चोटें आईं लेकिन वे साहस पूर्वक अपने स्थान पर खड़े रहे, आत्म रक्षा में गोली चलाने लगे और पुलिस दल का नेतृत्व करते रहे। उन्होंने हरदेव सिंह नामक व्यक्ति को मार डाला और जीप में बैठे चार अन्य व्यक्तियों को जो भागकर नानक निवास में चले गये थे गम्भीर रूप से घायल कर दिया। श्री पाण्डे जो गम्भीर रूप से जख्मी थे, को उपचार के लिये, एस० जी० टी० बी० अस्पताल, अमृतसर ले जाया गया।

इस घटना में, श्री आशा प्रसाद पाण्डे, पुलिस अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 मार्च, 1983 से दिया जायेगा।

सु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1985

संकल्प

सं० एफ० 4(1)/85 रा० भा०—विधाई विभाग के तारीख 24 अप्रैल, 1982 के संकल्प सं० एफ० 4(1)/81 रा० भा० को अधिक्रान्त करते हुए, भारत सरकार ने विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के लिये हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है। उक्त समिति का गठन इस प्रकार होगा:—

1. विधि और न्याय मंत्री	अध्यक्ष
2. विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. श्री आशुतोष ला, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
4. श्री राम भगत पासवान, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
5. श्री रामचन्द्र विकल, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
6. श्री जगत पाल सिंह, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
7. श्री इन्द्र दीप सिंह, सदस्य, राज्य सभा और सदस्य, राज भाषा संसदीय समिति	सदस्य
8. श्री आर० पी० दास, सदस्य, लोक सभा और सदस्य, राजभाषा संसदीय समिति	सदस्य
9. श्री सुधाकर पाण्डे, सदस्य राज्य सभा और महामंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी	सदस्य
10. श्री गंगा शरण सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली।	सदस्य
11. श्री शिव दयाल ज्येष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय	सदस्य
12. श्री भगवती प्रसाद बेरी, सेवा निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।	सदस्य
13. श्री वैदे मातरम रामचन्द्र राव, इण्टरनेशनल तेलुगु इंस्टीट्यूट हैदराबाद	सदस्य
14. डा० पी० के० त्रिपाठी, प्रतिष्ठित आचार्य, दिल्ली विश्व विद्यालय	सदस्य
15. डा० मलिक मोहम्मद, अध्यक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	सदस्य
16. श्री बाल कृष्ण, भूतपूर्व सदस्य, राजभाषा (विधायी) आयोग	सदस्य
17. डा० मोती बाबू, भूतपूर्व सदस्य, राजभाषा (विधायी) आयोग	सदस्य
18. श्री के० जी० बालकृष्ण पिल्लै, सम्पादक, केरल ज्योति, केरल हिन्दी प्रचार सभा, तिरुवनन्तपुरम।	सदस्य
19. सचिव, विधि कार्य विभाग	सदस्य
20. सचिव, विधायी विभाग	सदस्य
21. सचिव, राजभाषा विभाग और हिन्दी सलाहकार, भारत सरकार	सदस्य

22. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
23. संयुक्त सचिव, विधि कार्य विभाग	सदस्य
24. संयुक्त सचिव (प्रशा०) विधाई विभाग	सदस्य
25. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खण्ड, विधायी विभाग	सदस्य

2. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खण्ड, विधायी विभाग समिति के सचिव के रूप में कार्य भी करेंगे।

3. इस समिति का कार्य निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना होगा :—

(i) केन्द्रीय अधिनियमों और कानूनी नियमों का हिन्दी में अनुवाद;

(ii) सामान्य विधि शब्दावली और विकास;

(iii) विधि महा विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिये हिन्दी में मानक विधि पुस्तकों का उत्पादन;

(iv) विधि पत्रिकाओं और रिपोर्टों का हिन्दी में प्रकाशन; और

(v) उपर्युक्त विषयों से सम्बद्ध और आनुषंगिक विषय।

4. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से 3 वर्ष का होगा परन्तु:

(i) इस समिति में नाम निर्दिष्ट संसद सदस्य, जब संसद सदस्य नहीं रहेंगे तब इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ii) यदि अवधि समाप्त होने के पहले कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उस समय के स्थान पर नियुक्त किया जाने वाला सदस्य 3 वर्ष में से शेष अवधि के लिये सदस्य होगा।

5. साधारण

(i) समिति, आवश्यकतानुसार, अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी, अपने अधिवेशनों में भाग लेने के लिये विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी और उप समितियां नियुक्त कर सकेगी।

(ii) समिति का प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में होगा किन्तु इसके अधिवेशन अन्य स्थानों पर भी हो सकेंगे।

(iii) समिति और उसकी उप समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिये गैर सरकारी सदस्यों और आमंत्रितों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते दिये जायेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसद कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

क० सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त, 1985

सं० 10/2/85-के०से०-II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1986 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों की अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख)—(आशुलिपि संवर्ग का ग्रेड-II)

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड ग (उक्त ग्रेड को चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु)

(iii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड ग (इस ग्रेड का चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए)

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा - ग्रेड ग, और

(v) भारत सरकार के कुछ अन्य विभागों/संगठनों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा ख/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित नहीं हैं।

1. उपर्युक्त सेवाओं/पदों में से किसी एक या एक से अधिक सेवा सम्बन्धित परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। वह इनमें से जितनी सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने का इच्छुक है उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर सकता है।

टिप्पणी 1—उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों उनका वरीयता क्रम स्पष्ट रूप से लिख दें।

उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट उन सेवाओं/पदों के वरीयता क्रम में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अनुरोध रोजगार समाचार में लिखित परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता।

टिप्पणी 2—इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने वाले कुछ विभागों/कार्यालयों को केवल अंग्रेजी आशुलिपिकों की ही आवश्यकता होगी और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों में से की जाएगी जिन्हें लिखित परीक्षा तथा अंग्रेजी के आशुलिपिक परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाता है (द्रष्टव्य : नियमावली के परिशिष्ट I का पैरा 4)।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान, आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4 (1) उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए या

(ख) नेपाल की प्रजा या

(ग) भूटान की प्रजा या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व) टांगानिका और जंजीबार, पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जाम्बिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (इ) और (च) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी), प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परन्तु यह शर्त और कि उपर्युक्त (ख), (ग) और (च) के वर्गों के उम्मीदवार भारतीय, विदेश सेवा (ख)—आशुलिपिक उप-संवर्ग का ग्रेड (II) से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(2) परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिसके लिए पात्रता-प्रमाण पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

5. ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तीन से अधिक बार बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का नहीं है। किन्तु यह प्रतिबन्ध 1962 में हुई परीक्षा से प्रभावी होगा।

टिप्पणी 1—इस नियम के प्रयोजन के लिए परीक्षा से अभिप्राय है आशुलिपिक परीक्षा, आशुलिपिक (आपातकालीन कमीशन/अल्पकालीन कमीशन प्राप्त निर्मुक्त अधिकारी तथा भूतपूर्व सैनिक) परीक्षा तथा आशुलिपिक (भूतपूर्व सैनिक परीक्षा)।

टिप्पणी 2—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवा/पदों के प्रतियोगिता में बैठे तो इस नियम के प्रयोजन के लिए उस उम्मीदवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिए एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा माना जाएगा।

टिप्पणी 3—किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा तब माना जाएगा, जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो।

टिप्पणी 9—उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उनके द्वारा लिया गया एक अवसर गिना जाएगा चाहे वह परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाए/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए।

6 (क) इस परीक्षा में प्रवेश के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी, 1986 को पूरे 18 वर्ष की हो गई हो किन्तु उसकी आयु पूरे 25 वर्ष न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1961 से पहले और 1 जनवरी 1968 के बाद का हो।

(ख) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों अथवा निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग और लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के अधीन व्यक्तियों सहित, भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में आशुलिपिक (जिनमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल है) लिपिक/आशुटंककों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त है और 1 जनवरी, 1986 को जिन्होंने आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत) लिपिकों/आशुटंककों के रूप में कम से कम तीन वर्ष निरन्तर सेवा की तथा उक्त पदों पर अभी तक काम कर रहे हैं।

परन्तु उपर्युक्त आयु संबंधी छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी में आशुलिपिकों के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं।

(1) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग, या

(2) रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग, या

(3) भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-II या

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग।

टिप्पणी 1—डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक छटाईकारों द्वारा की गई सेवा उपर्युक्त नियम 6 (ख) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जाएगी।

टिप्पणी 2—रक्षा प्रतिष्ठानों में नियुक्त सेवा लिपिकों द्वारा की गई सेवा उपर्युक्त नियम 6(ख) के योजन के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी:—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और 1 अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(vii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिय (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी है या जाम्बिया, मलावी, जेरे तथा इथियोपिया का भारत मूल का प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तो अधिकतम आठ वर्ष तक।

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(ix) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून 1963 को या उसके बाद

भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(xi) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

(xii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय परिपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है और जो वियतनाम से जुलाई 1978 से पहले भारत नहीं आया है तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(xiii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तथा भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (भारतीय परिपत्रधारी) है तथा साथ ही वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी आपातकाल प्रमाण-पत्र रखने वाला, ऐसा उम्मीदवार है जो वियतनाम से जुलाई 1975 के बाद आया है तो अधिकतम आठ वर्ष तक ।

(xiv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 1986 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न हो कर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए है । (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 1986 से छः महीने के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(xv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 1986 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं, जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 1986 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक ।

(xvi) यदि कोई उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर आया था तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(xvii) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 से तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान जन कर आया था तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी अवस्था में आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी ।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती ।

विशेष ध्यान :—(i) जिस उम्मीदवार को नियम 6 (ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं । किन्तु आवेदन-पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा ।

(ii) ऐसा आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक सहित)/लिपिक/आशुटंकक जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर है अथवा जिसे किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है परन्तु उसका धारणाधिकार उस पद पर है जिससे वह स्थानान्तरित किया गया था, यदि वह अन्यथा प्राप्त है परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

7. उम्मीदवार ने भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अवश्य पास की हो, अथवा उसके पास किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में स्कूल लीविंग, माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल परीक्षा, या कोई और प्रमाण-पत्र हो जो राज्य सरकारों को नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष हो ।

टिप्पणी 1 :—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा ।

टिप्पणी 2 :—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं, बशर्ते, कि उम्मीदवारों ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है ।

8. उन सभी उम्मीदवारों को, जो पहले से सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक वर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हों या जो लोक उद्यमों में सेवारत हों तो यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा 7 में निर्धारित फीस देनी होगी।

12. जिस उम्मीदवार ने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य पालन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(x) परीक्षाएं चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(xi) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, या

(xii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उसके योग्यताक्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और उस क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त समझेगा उनके नाम अपेक्षित संख्या तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अन्य सेवाओं/पदों में अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या तक के नामों की अनुशंसा की जाएगी।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग"/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अनुशंसित किए जा सकेंगे बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

14 नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में विशेष सेवाओं/पदों के लिए बताए गए वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

15. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा परिणाम की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

16 परीक्षा में पास होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

17. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है

तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने पद के कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ है कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किए जाने की सम्भावना हो।

टिप्पणी :—भूतपूर्व रक्षा सेवा के विकलांग कार्मिकों के सम्बन्ध में रक्षा सेवा के डिमोबोलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

19. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसके संविधान विवरण परिशिष्ट II में दिए गए हैं।

एच० जी० मण्डल, अवर सचिव

परिशिष्ट I

1. परीक्षा के विषय, प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय		दिया गया समय	पूर्णांक
(I)	सामान्य अंग्रेजी . .	2 घण्टे	100
(II)	निबन्ध . .	2 घण्टे	100
(III)	सामान्य ज्ञान . .	2 घण्टे	100

भाग ख—हिन्दी या अंग्रेजी में आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए)—300 अंक

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टंकन मशीन पर लिप्यन्तर करने होंगे और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी टंकण मशीन लानी होगी।

2. सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों में वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रश्नों के नमूने सहित विवरण के लिए आयोग के नोटिस (अनुबन्ध II) के साथ लगी उम्मीदवारों के लिए सूचना पुस्तिका देखिए।

3. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि परीक्षाओं की योजना उस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी।

4. उम्मीदवार "निबन्ध" के प्रश्न पत्र II का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) या अंग्रेजी में दे सकता है। यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र पर लागू होगा न कि उसके किसी भाग पर।

जिन उम्मीदवारों ने निबन्ध के प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए हिन्दी (देवनागरी) का विकल्प दिया है यदि वे चाहें तो कोष्ठकों में तकनीकी शब्दों को हिन्दी में लिखने के साथ उनका अंग्रेजी रूपांतर कोष्ठकों में लिख दें।

जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल (देवनागरी) में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी में लिखने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही देनी होगी।

निबन्ध और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र (हिन्दी और अंग्रेजी) दोनों में तैयार किए जायेंगे।

टिप्पणी 1:—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निबन्ध के प्रश्न (II) का उत्तर तथा आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में देने के इच्छुक हों सो यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 8 में लिखें अन्यथा यह माना जाएगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपिक परीक्षा अंग्रेजी में देंगे।

एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यदि उम्मीदवार ने आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में परीक्षा दी है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न-पत्र (पत्रों) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2 :—जो उम्मीदवार आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प देंगे उन्हें अंग्रेजी आशुलिपि और जो आशुलिपि परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि नियुक्ति के बाद सीखनी होगी।

टिप्पणी 3 :—जो उम्मीदवार किसी विदेश में भारतीय मिशन पर परीक्षा देना चाहता है उसे विदेश स्थित किसी ऐसे भारतीय मिशन पर अपने खर्च पर स्टेनोग्राफी परीक्षण देना होगा जहां ऐसा परीक्षण करने की व्यवस्था सुलभ है।

5. लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र (I सामान्य अंग्रेजी) केवल अंग्रेजी में ही तैयार किया जाएगा और सभी उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में ही उत्तर दिए जायेंगे।

6. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले श्रुतलेख में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें 100 शब्द प्रति मिनट वाले श्रुतलेख में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के क्रम में ऊंचा रखा जाएगा। प्रत्येक ग्रुप में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक योग्यता अनुक्रम में रखा जाएगा। (दृष्टव्य: निम्नलिखित अनुसूची का भाग ख)।

7. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

9. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो आयोग की विवेचना के अनुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

10. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

11. अस्पष्ट लिखावट के कारण लिखित विषयों में पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जायेंगे।

12. निबन्ध के प्रश्न पत्र की परीक्षा में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा।

13. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची

भाग क

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

टिप्पणी :—भाग 'क' के प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

सामान्य अंग्रेजी :—यह प्रश्न पत्र इस ढंग से तैयार किया जायेगा कि इससे उम्मीदवार के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाये। इस प्रश्न पत्र म शब्दों के शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और अव्यय (प्रिपोजीशन) डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किए जा सकते हैं।

निबन्ध :—उम्मीदवारों को दो प्रकरणों पर निबन्ध लिखना होगा। विषय चुनने की छूट दी जायेगी। उनसे यह आशा की जाएगी कि ये अपने विचार व्यवस्थित रूप से निबन्ध के विषय के सम्बन्ध में ही संक्षिप्त रूप से लिखेंगे। प्रभाव पूर्ण ढंग से तथा ठीक-ठीक भाव व्यक्त करने वालों को श्रेय दिया जायेगा।

सामान्य ज्ञान :—निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी :—

भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, वर्तमान घटना क्रम, सामान्य विज्ञान और दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा है। उनके उत्तरों में किसी पाठ्यपुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है।

भाग ख

आशुलिपिक परीक्षा की योजना

आशुलिपि परीक्षाओं की योजना :—अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो श्रुतलेख परीक्षाएं होंगी। एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस

मिनट के लिये जो उम्मीदवार को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों लिप्यन्तर करने होंगे।

हिन्दी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो श्रुतलेख परीक्षाएं होंगी एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यन्तर करने होंगे।

परिशिष्ट II

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिये इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है :—

क—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा :

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

ग्रेड क : रु० 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200।

ग्रेड ख : रु० 650-30-740-35-880-द०रो०-40-1040।

ग्रेड ग : रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800।

ग्रेड घ : रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560।

ग्रेड ख से ग्रेड क में पदोन्नत हुए व्यक्तियों को वेतन इस वेतनमान में न्यूनतम रु० 775/- पर निर्धारित कर दिया गया है। ग्रेड ग से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों का वेतन इस वेतनमान में रु० 710 पर निर्धारित किया जायेगा।

(2) उक्त सेवा के ग्रेड ग में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझ बढ़ा सकती है।

(4) सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किये गये व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जायेगा। किन्तु उसकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।

(5) सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किये गये व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रड में पदोन्नत किये जाने के पात्र होंग।

(6) जिन लोगों की नियुक्ति सेवा के ग्रेड ग में उनके अपने विकल्प के अनुसार की जायेगी उस नियुक्ति के पश्चात भारतीय विदेश सेवा (ख) के संवर्ग अथवा रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा न कर सकेंगे।

ख—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा :

(क) (i) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्न चार ग्रेड हैं :—

ग्रेड क : रु० 650 (775)-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200।

ग्रेड ख : रु० 650-30-740-35-880-द०रो०-40-1040।

ग्रेड ग : रु० 425-15-500-द०रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800।

ग्रेड घ : रु० 330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560।

ग्रेड ख से ग्रेड क पदोन्नत व्यक्तियों का उक्त वेतनमान में रु० 775/- प्र० मा० न्यूनतम वेतन दिया जाता है।

ग्रेड ग से ग्रेड ख में पदोन्नत व्यक्तियों को उक्त वेतनमान के रु० 710/- प्र० मा० न्यूनतम वेतन दिया जाता है।

(ii) उक्त सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें इसमें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा तथा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यदि यह पाया गया कि सरकार की राय में उनमें से किसी भी व्यक्ति का कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा है तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा अपेक्षित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) उक्त सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किये गये व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की तरह कर्मचारियों का अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरण नहीं होता है।

(ग) इन नियमों के अधीन भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा के अधिकारी :—

(i) पेंशन लाभ के पात्र होंगे तथा

(ii) सेवा में आने की तारीख को नियुक्त रेल कर्मचारियों पर लागू गैर अंशदायी राज्य रेल भविष्य निधि के अधीन उक्त निधि में अभिदान करेंगे।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवार रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार पास और विशेषाधिकार टिकट आदेश का हकदार होगा।

(ङ) जहां तक अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित स्टाफ के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसे कि रेलवे के अन्य स्टाफ से, किन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में वे केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों में शासित होंगे जिनका मुख्यालय नई दिल्ली होगा।

ग—भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड II

भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिकों के संवर्ग में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

चयन ग्रेड :—रु० 775-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200।

ग्रेड I : रु० 650-30-740-35-880-द० रो०-40-1040।

ग्रेड II : रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800।

ग्रेड III : रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560।

(ग्रेड II से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों का वेतन इस वेतनमान में न्यूनतम रु० 710 पर निर्धारित किया जायेगा।)

2. इस सेवा के ग्रेड II में भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर यदि उनमें से किसी का कार्य या आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

3. भारतीय विदेश सेवा (शाखा-ख) आशुलिपिकों के संवर्ग I में नियुक्त अधिकारी भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (आर० सी० एस पी०) नियमावली 1964 भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०

नियमावली 1961 जो भारतीय विदेश सेवा 'ख' के अधिकारियों पर लागू की गई है तथा वे अन्य नियम और आदेश जो भारत सरकार द्वारा उन पर लागू किए जाएं द्वारा शासित होंगे।

4. भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) विदेश मंत्रालय और विदेश भारतीय मिशनों तक ही सीमित है। इस सेवा में नियुक्त अधिकारी वाणिज्य मंत्रालय को छोड़कर सामान्यतया अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं किए जा सकेंगे। परन्तु वे विदेशों में अन्य मंत्रालयों में निर्मित पदों पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों में भी नियुक्त किए जा सकते हैं। वे भारत में तथा भारत के बाहर कहीं भी उन स्थानों सहित जहां परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं रखना होता सेवा पर भेजे जा सकते हैं।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को विदेशों में, उनके मूल वेतन के अतिरिक्त उस दर से विशेष भत्ता दिया जायेगा, जो संबद्ध देशों के निर्वाह खर्च आदि के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किया जाए। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों के लिए लागू भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियमावली, 1961 के अनुसार विदेश सेवा अवधि में निम्नलिखित रियायतें भी स्वीकार्य होंगी :—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार निःशुल्क सुसज्जित आवास।

(ii) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं।

(iii) 8 और 21 वर्ष की आयु के बीच के अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए जो भारत में पढ़ रहे हों अथवा एक बच्चा भारत तथा दूसरा विदेश में अधिकारी की तैनाती से इतर किसी अन्य देश में पढ़ रहा हो कतिपय शर्तों के अधीन वायु मार्ग द्वारा वापसी यात्रा व्यय। यदि सरकारी कर्मचारियों के भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे 8 और 21 वर्ष की आयु के बीच दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे विदेश में अपने माता पिता के पास यात्रा करने वाले दो बच्चों के बदले अपनी पत्नी को छुट्टियों के दौरान भारत भेजने का विकल्प होगा। ऐसे किसी मामले में सरकारी कर्मचारी की पत्नी सस्ती से सस्ती उपलब्ध श्रेणी से वायु मार्ग द्वारा वापसी यात्रा व्यय की हकदार होगी।

(iv) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से 5 से 18 वर्ष के अधिक से अधिक दो बच्चों का शिक्षा भत्ता।

(v) विहित नियमों और समय-समय पर सरकार द्वारा निश्चित दरों के अनुसार विदेशों में सेवा करने के संबंध में सज्जाकरण भत्ता। साधारण सज्जाकरण भत्ते के अतिरिक्त असाधारण ठन्डी जलवायु वाले देशों में नियुक्त अधिकारियों को विशिष्ट सज्जाकरण भत्ता प्राप्त होगा।

(vi) विहित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों को घर जाने की छुट्टी का यात्रा किराया।

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, कतिपय संशोधनों के अधीन इन सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे। ये अधिकारी कुछ पड़ोसी देशों को छोड़कर विदेश सेवा में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन प्राप्त छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त छुट्टी जमा कर सकेंगे।

7. उक्त अधिकारी जो भारत में होंगे, तो ऐसी रियायतों के हकदार होंगे, जो बराबर तथा एक समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राप्त हों।

8. भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारी सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें) नियमावली, 1960 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए देशों द्वारा शासित होंगे।

9. इस सेवा में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के द्वारा शासित होंगे।

घ—सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा :

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

1. ग्रेड क—आशुलिपिक (निजी सचिव)—ग्रुप ख—राजपत्रित (चयन ग्रेड)।

वेतनमान : रु० 650* (775)*—30—740—35—810—द० रो०—35—880—40—1000—द० रो०—40—1200।

*ग्रेड ख से पदोन्नत किए गए अधिकारियों को गारंटी शुदा न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

2. ग्रेड ख आशुलिपिक (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक)—ग्रुप ख—राजपत्रित।

वेतनमान : रु० 650 (710)†—30—740—35—880—द० रो०—40—1040।

†ग्रेड ग से पदोन्नत किए गए अधिकारियों को गारंटीशुदा न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

3. ग्रेड ग आशुलिपिक (वैयक्तिक सहायक) ग्रुप ख—अराजपत्रित

वेतनमान : रु० 425—15—500—द० रो० 15—560—20—700—द० रो०—25—800।

4. ग्रेड घ आशुलिपिक—ग्रुप ग।

वेतनमान : रु० 330—10—380—द० रो०—12—500—द० रो०—15—560।

2 अस्थायी आशुलिपिक ग्रेड—ग (वैयक्तिक सहायक) के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि में यदि असंतोषजनक सेवा अभिलेख रहा, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाला जा सकता है। परिवीक्षाधीन अवधि में उन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

3. सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में भर्ती किया गया ग्रेड ग का आशुलिपिक सामान्यतः सशस्त्र सेना मुख्यालय और दिल्ली/नई दिल्ली स्थित अंतर सेवा संगठन के किसी कार्यालय में नियुक्त किया जाएगा। वह दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर अन्य स्थानों पर भी नियुक्त किया जा सकेगा जहां सशस्त्र सेना मुख्यालय/अन्तर सेवा संगठन के कार्यालय स्थित हों।

4. ग्रेड ग के आशुलिपिक ग्रेड ख (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे और ग्रेड ख आशुलिपिक (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) समय-समय पर लागू किए गए नियमों के अनुसार ग्रेड क के आशुलिपिक (निजी सचिव) के रूप में पदोन्नति के पात्र होंगे।

5. छुट्टी, चिकित्सा सहायता और सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 1985

संकल्प

सं० ई-11011/10/75-हिन्दी (वाल्यूम-II)—आठवीं लोक सभा के गठन और वस्त्र विभाग तथा पूर्ति विभाग को शामिल करके अलग से एक नया मंत्रालय बनाए जाने तथा वाणिज्य मंत्रालय के कुछ और संगठनों को प्रतिनिधित्व देने के निर्णय के परिणामस्वरूप, वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 23 मई 1984 के समसंख्यक संकल्प का अधिक्रमण करते हुए वाणिज्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है :—

1. वाणिज्य मंत्री	अध्यक्ष
2. वाणिज्य राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. श्री अजीत सिंह दामी संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4. प्रो० पी० जी० कूरियन संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
5. श्रीमती कृष्णा कौल, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
6. श्री राम नरेश कुशवाहा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
7. संसद सदस्य 8. संसद सदस्य } संसदीय राजभाषा समिति के संसद सदस्यों में से राजभाषा विभाग द्वारा नामित किये जाने हैं ।	सदस्य
9. डा० वीरेन्द्र कुमार दूबे 1595, नेपियर टाउन, जबलपुर-1	सदस्य
10. श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, एडवोकेट, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, अल्लाहपुर, इलाहाबाद-4	सदस्य
11. श्री हरिहरनाथ मिश्र, फ्लैट नं 2, ब्लाक नं० 11, म्यूनिसीपैल्टी फ्लैट्स, सर्किट हाउस के सामने, हैस्टिंग्ज रोड, इलाहाबाद ।	सदस्य
12. श्री के० राधाकृष्ण मूर्ति, विशेष अधिकारी, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हिन्दी संघ, हैदराबाद-4	सदस्य
13 वाणिज्य सचिव	सदस्य
14. सचिव (राजभाषा विभाग) तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
15. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ।	सदस्य
16. मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, नई दिल्ली	सदस्य
17. वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी के महानिदेशक ।	सदस्य
18. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली ।	सदस्य
19. अध्यक्ष, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली ।	सदस्य
20. निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली ।	सदस्य
21. अध्यक्ष, भारतीय व्यापार मेला, प्राधिकरण, नई दिल्ली ।	सदस्य
22. कार्यकारी निदेशक व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली ।	सदस्य
23. महानिदेशक, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली ।	सदस्य
24. अध्यक्ष, चाय बोर्ड, कलकत्ता ।	सदस्य
25. अध्यक्ष, चाय व्यापार निगम, कलकत्ता	सदस्य
26. अध्यक्ष, काफी बोर्ड, बंगलौर ।	सदस्य
27. अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, निर्यात ऋण व गारंटी निगम, बम्बई ।	सदस्य
28. विकास आयुक्त, काण्डला मुक्त व्यापार जोन, गांधी धाम, कच्छ ।	सदस्य
29. विकास आयुक्त, सान्ताक्रूज इलैक्ट्रानिक्स निर्यात संसाधन जोन बम्बई ।	सदस्य
30. अध्यक्ष, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बम्बई ।	सदस्य
31. अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर ।	सदस्य
32. अध्यक्ष, इलायची बोर्ड, कोचीन ।	सदस्य
33. अध्यक्ष रबड़ बोर्ड, कोट्टयम	सदस्य
34. अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन ।	सदस्य
35. निदेशक, (प्रभारी हिन्दी कार्य), वाणिज्य मंत्रालय ।	सदस्य-सचिव

2. कार्य

इस समिति का कार्य, सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित मामलों में मंत्रालय को सलाह देना होगा ।

3. कार्य अवधि

समिति का कार्य-काल, निम्नलिखित व्यवस्था के साथ उसके आरम्भिक गठन की तारीख अर्थात 23 मई, 1984 से तीन वर्ष का होगा :—

(1) समिति में नामजद संसद सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेंगे तभी वे इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे ।

(2) अवधि के बीच में रिक्त हुआ स्थान, सम्बन्धित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जायेगा और यह अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के बकाया काल के लिए सदस्य होगा ।

4. विविध

(1) समिति आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी ।

(2) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है ।

5. यात्रा व अन्य भत्ता

समिति और इस समिति की उप समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जायेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार और भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभागों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एम० रंजन, निदेशक

उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 1985

शुद्धि पत्र

(इस्पात की ढली हुई वस्तु उद्योग के लिये नामिका का गठन)

सं० 13026(41)/84-ई० आई० एम०—इस्पात की ढली हुई वस्तुओं के लिये नामिका हेतु सदस्यों को नामित करने के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के संकल्प दिनांक 17-1-85 के क्रम में भारत सरकार ने क्रम सं० 8 और 17 पर श्री ए० बी० मलिक, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास महानिदेशालय और श्री आर० बांचू, डी०जी० ओ०एफ० कलकत्ता के स्थान पर, श्री लक्ष्मण मिश्रा, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास महानिदेशालय और श्री डी० के० दत्ता, संयुक्त महाप्रबन्धक, आयुद्ध कारखाना मुरावनगर (उ० प्र०) को नामित करने का निर्णय किया है। उपर्युक्त संकल्प को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया गया समझा जाये —

के स्थान पर	पढ़िये
8. श्री ए० बी० मलिक, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास महानिदेशालय ।	8. श्री लक्ष्मण मिश्रा औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास महानिदेशालय
17. श्री आर० बांचू, डी० जी० ओ० एफ०, कलकत्ता	17. श्री डी० के० दत्ता संयुक्त महाप्रबन्धक, आयुद्ध कारखाना, मुरावनगर (उ० प्र०)
13. श्री जी० एस० भक्त, निदेशक (मेटल्स) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) निर्माण भवन, नई दिल्ली	13. श्री जे० एन० भक्त, निदेशक (मेटल्स) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) निर्माण भवन, नई दिल्ली

डी० एस० पूनिया, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग-1)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 1985

संकल्प

स० ए 16025/2/83 एच०—दिल्ली अस्पताल बोर्ड को अपने पर्यालोचन में कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित व्यावहारिक अनुभव सुलभ हो जाये इसके लिये भारत सरकार ने इस मंत्रालय के 11 मार्च, 1976 के संकल्प संख्या जेड 28015/7/76-एच० द्वारा गठित उक्त बोर्ड में वर्तमान गैर सरकारी सदस्यों के स्थान पर निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इन सदस्यों को उपर्युक्त संकल्प के पैरा-2 के क्रम संख्या-9 के बाद शामिल किया जाये:—

10. डा० एच० के० चुट्टानी,
निदेशक, गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल,
नई दिल्ली ।

11. डा० (कु०) एस० पद्मावती,
ए-1/116, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली ।

12. डा० एस० आर० के० मलिक,
डी० 44,
कोटला रोड, नई दिल्ली ।

12क. डा० अर्जुन सहगल,
बी-22, कैलाश कालोनी,
नई दिल्ली ।

2. दिल्ली अस्पताल बोर्ड की अन्य शर्तें वही रहेंगी ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय/दिल्ली प्रशासन/दिल्ली नगर निगम/प्रधान मंत्री कार्यालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/दिल्ली अस्पताल बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों को भेजी जाये ।

आदेश है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

पी० आर० दासगुप्ता,
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 1985

संकल्प

सं० पी० 11016/27/84-एम० सी० एच०—नई लोक सभा गठित हो जाने के फलस्वरूप भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 19-10-1984 के संकल्प संख्या पी० 11016/27/84-एम० सी० एच० के तहत पहले गठित काउन्टेस आफ डफरिन फण्ड समिति का तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन करती है ।

इस पुनर्गठित समिति की संरचना इस प्रकार होगी—

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2. श्रीमती सुमति उरांव (संसद सदस्य) लोक सभा	गैर-सरकारी सदस्य
3. श्रीमती वैजयन्ती माला बाली (संसद सदस्य) लोक सभा	गैर-सरकारी सदस्य
4. श्रीमती मोनिका दास (संसद सदस्य) राज्य सभा	गैर-सरकारी सदस्य

5. अपर सचिव एवं आयुक्त (प० क०) सदस्य
6. अपर सचिव (स्वास्थ्य) सदस्य
7. संयुक्त सचिव (प्रभारी अधिकारी—एम० सी० एच० प्रभाग) सदस्य
8. उप आयुक्त (एम० सी० एच०) सदस्य
9. वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य
10. उप महा निदेशक (चिकित्सा) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सदस्य
11. नर्सिंग सलाहकार (स्वा० सेवा महानिदेशालय) सदस्य
12. प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली सदस्य
13. प्रधानाचार्य, राजकुमारी अमृत कौर कालेज आफ नर्सिंग नई दिल्ली सदस्य
14. सहायक आयुक्त (एम० सी० एच०) परिवार कल्याण विभाग सदस्य-सचिव

2. यह सलाहकार समिति—काउन्टेस आफ डफरिन फण्ड की आय का उपयोग करने और उसका प्रबन्ध करने में केन्द्रीय सरकार को सलाह देगी।

3. इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष है।

4. सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते पर होने वाला खर्च उसी स्रोत से पूरा किया जायेगा जहां से उन्हें वेतन मिलता है। जो गैर-सरकारी सदस्य समिति की बैठकों में भाग लेंगे उनका यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता एस० आर० 190 में की गई व्यवस्थाओं और भारत सरकार द्वारा उसके अन्तर्गत समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियमित किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

एस० के० सुधाकर, संयुक्त सचिव

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 1985

संकल्प

सं० एफ० 14-3/83-सी० एच०-1—राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसन्धान प्रयोगशाला, लखनऊ के लिये कार्यक्रम सलाहकार समिति के गठन के सम्बन्ध में इस विभाग के संकल्प संख्या एफ० 14-3/83-सी० एच०-1, दिनांक 16 जुलाई, 1984 के सन्दर्भ में राष्ट्रपति उक्त संकल्प में इस आशय के संशोधन के लिये सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं, जिसके अनुसार क्रम सं० 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये :—

सचिव सह अध्यक्ष
संस्कृति विभाग
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली।

2. संकल्प की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसन्धान प्रयोगशाला लखनऊ को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिये संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

के० डी० गुप्त, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1985

संकल्प

सं० हिन्दी/समिति/83/38/5—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 3-10-83 तथा समय-समय पर संशोधित समसंख्यक संकल्पों के क्रम में श्री शिवाजी राव ऐरबे, एडवोकेट, संस्थापक सचिव, मजरूल हक मेमोरियल ट्रस्ट, छपरा (बिहार) को एतद्द्वारा रेल मंत्रालय के अधीन गठित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया जाता है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोकसभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

अमर नाथ बांबू, सचिव
रेलवे बोर्ड तथा भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 1985

संकल्प

सं० ई-11015/4/84-हिन्दी—निर्माण और आवास मंत्रालय के संकल्प संख्या ई-11015/8/80-हिन्दी दिनांक 22 जून, 1981 तथा 17-12-81 तथा संकल्प संख्या ई-11015-3/82 हिन्दी दिनांक 16-4-1982 तथा 4-8-83 के अतिक्रमण में भारत सरकार ने निर्माण और आवास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति की रचना, कार्य आदि निम्न प्रकार होंगे :—

1. मंत्री, निर्माण और आवास मंत्रालय अध्यक्ष

गैर सरकारी सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य

2.
3. } नामित किये जाने हैं। सदस्य

संसद सदस्य (लोक सभा)

4. श्री राम देव राय सदस्य
306, बिहार भवन,
नई दिल्ली

5. श्री भरत सिंह, सदस्य
बी-1/53, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली

संसद सदस्य (राज्य सभा)

6. श्री हरी सिंह नलवा, सदस्य
14-ए, फिरोजशाह रोड,
नई दिल्ली

7. श्री विश्व गोस्वामी, सदस्य
177, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली

संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि:

8. श्री प्रभात शास्त्री,
प्रधान मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग,
12 सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद।

9. श्री शंकर राव लोंढे, सदस्य
प्रधान मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा,
हिन्दी नगर, वर्धा (महाराष्ट्र)-442003। सदस्य

10. श्री राम लाल पारीख,
सचिव, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ,
75, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
नई दिल्ली-110002।

11. श्री सुधाकर पाण्डेय, सदस्य
प्रधान मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा,
वाराणसी।

12. श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, सदस्य
एडवोकेट, उच्च न्यायालय, सदस्य
इलाहाबाद।

13. श्री उपेन्द्र शुक्ल,
विशेष सम्पादक बिल्टज उत्तर प्रदेश ब्यूरो भरवारी,
इलाहाबाद।

14. श्री अमर नाथ शारदा,
प्लाट नं० 20 (बान्द्रा कूपर्छाव)
कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, 28 वी बिल्डिंग लिंकिंग रोड,
बान्द्रा, बम्बई। सदस्य

15. श्री शंकर दयाल सिंह,
भूतपूर्व सांसद, प्रजीत प्रकाशन,
जी० एफ० कार के निकट, पटना, बिहार।

16. श्री संजय सिंह, सदस्य
जलटंकी के निकट पाटलीपुत्र कालोनी,
पटना।

सरकारी सदस्य सदस्य

17. सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय सदस्य

18. सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार सदस्य

19. संयुक्त सचिव (डब्ल्यू० ए०) निर्माण और आवास मंत्रालय सदस्य

20. संयुक्त सचिव (एच० एण्ड एच० एस०) निर्माण और आवास मंत्रालय सदस्य

21. संयुक्त सचिव (यू० डी०), निर्माण और आवास मंत्रालय सदस्य

22. संयुक्त सचिव (एफ०) निर्माण और आवास मंत्रालय सदस्य

23. संयुक्त सचिव (पी० एस० पी०), निर्माण और आवास मंत्रालय सदस्य

24. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग सदस्य

25. निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली सदस्य

26. सम्पदा निदेशक, सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली

27. मुद्रण निदेशक, मुद्रण निदेशालय, नई दिल्ली सदस्य

28. निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, नई दिल्ली सदस्य

29. भूमि तथा विकास अधिकारी, भूमि तथा विकास कार्यालय नई दिल्ली सदस्य

30. नियंत्रक, प्रकाशन, विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली सदस्य

31. नियंत्रक, लेखन सामग्री, विभाग, 3 चर्च लेन, कलकत्ता सदस्य

32. मुख्य आयोजक, नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन, नई दिल्ली सदस्य

33. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सदस्य
नई दिल्ली सदस्य

34. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड नई दिल्ली। सदस्य

35. अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड, हुडको हाउस, लोधी काम्पलैक्स, नई दिल्ली सदस्य

36. सचिव, दिल्ली नगर कला आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली सदस्य

37. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, नई दिल्ली सदस्य

38. उप सचिव (प्रशासन), निर्माण और आवास मंत्रालय सदस्य सचिव

समिति के कार्य

समिति का कार्य सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और तदनुसार मंत्रालय के काम काज हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और तत्सम्बन्धी मामलों में सलाह देना होगा।

कार्य काल :

समिति के सदस्यों का कार्य काल सामान्य रूप से समिति के गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन तीन वर्ष होगा:—

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे।

(ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान खाली होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिये ही सदस्य रहेगा।

सामान्य :

1. समिति अतिरिक्त सदस्यों को भी सहयोजित सदस्यों के रूप में शामिल कर सकती है और उप समितियां भी बना सकती है।

2. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

यात्रा तथा अन्य भत्ते:

गैर सरकारी सदस्य को समिति की बैठकों में समय-समय पर भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिये जायेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

बी० एम० गुप्ता, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 6th August 1985

No. 80-Pres|85.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned office of the Punjab Police :—

Name and rank of the officer
Shri Adya Prasad Pandey,
Supdt. of Police,
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of the 15th|16th March, 1983, Shri Adya Prasad Pandey, Supdt. of Police, Amritsar, on receiving information, organised a naka party under his own leadership, to nab some extremists at Manwaala train Bridge on Shershah Marg. The Police Party consisted of one Deputy Supdt. of Police, four Sub-Inspectors, four Head Constables and fourteen Constables. Shri Pandey deployed the Police Party very carefully and was himself in the front to check the vehicles. At about 4.45 A.M., a jeep was seen coming from Amritsar side. Shri Pandey alerted the Police Party and went forward to intercept the vehicle. The jeep slowed down and as Shri Pandey was about to check the inmates of the jeep without caring for his personal safety, the occupants of the jeep threw a hand grenade on him and subsequently started firing on the police. As a result of the explosion, Shri Pandey sustained multiple injuries but undauntedly he struck to his post, opened fire in self-defence and continued to command the Police Party. He succeeded in killing one Hardev Singh and causing serious injuries to other four occupants of the jeep, who managed to escape inside Guru Nanak Niwas. Shri Pandey, who was seriously injuried, was removed to S.G.T.B. Hospital, Amritsar, for treatment.

In this incident, Shri Adya Prasad Pandey, Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th March, 1983.

S. NILAKANTAN
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
LEGISLATIVE DEPARTMENT

New Delhi, the 29th July 1985

RESOLUTION

No. F.4(1)|85-OL.—In supersession of the Legislative Department Resolution No. 4(1)|81-OL, dated the 24th April, 1982, the Government of India have decided to re-constitute the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and the Legislative Department). The composition of the Samiti will be as follows :—

Chairman

1. Minister of Law and Justice.

Vice-Chairman

2. Minister of State, Ministry of Law and Justice.

Members

3. Shri Ashutosh Law, Member, Lok Sabha.
4. Shri Ram Bhagat Paswan, Member, Lok Sabha.
5. Shri R. C. Vikal, Member, Rajya Sabha.
6. Shri Jagat Pal Singh, Member, Rajya Sabha.
7. Shri Indra Deep Sinha, Member, Rajya Sabha and Member of Parliamentary Committee on Official Language.
8. Shri R. P. Das, Member, Lok Sabha and Member of Parliamenary Committee on Official Language.
9. Shri Sudhakar Pande, Member, Rajya Sabha and General Secretary, Nagari Pracharini Sabha, Varanasi.
10. Shri Ganga Sharan Sinha, Chairman, Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh, New Delhi,
11. Shri Shiv Dayal, Senior Advocate, Supreme Court.
12. Shri Bhagvati Prasad Beri, Retired Chief Justice, Rajasthan High Court, Jaipur.
13. Shri Vandemataram Ramachandra Rao, Chairman, International Telegu Institute, Hyderabad.
14. Dr. P. K. Tripathi, Professor Emeritus, Delhi University.
15. Dr. Malik Mohammad, Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology.
16. Shri Balkrishna, Former Member, Official Language (Legislative) Commission.
17. Dr. Moti Babu, Former Member, Official Language (Legislative) Commission.
18. Shri K. G. Balakrishna Pillai, Editor, Keral Jyothi, Kerala Hindi Prachara Sabha, Trivandrum.
19. Secretary, Department of Legal Affairs.
20. Secretary, Legislative Department.
21. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India.
22. Joint Secretary, Department of Official Language.
23. Joint Secretary, Department of Legal Affairs.
24. Joint Secretary (A) Legislative Department.
25. Joint Secretary and Legislative Counsel Official Languages Wing, Legislative Department.

2. Joint Secrettary & Legislative Counsel, Official Languages Wing, will also function as the Secretary of the Samiti.

3. The functions of the Samiti will be to advice the Central Government on matters relating to :

(i) the translation of Central Acts and Statutory Rules into Hindi;

(ii) the evolution of common legal terminology;

(iii) the production of standard law books in Hindi, for imparting legal education in Hindi, in law colleges and Universities;

(iv) the publication of law journals and reports in Hindi; and

(v) matters ancillary and incidental to any of the above items.

4. *Tenure.*

The terms of the samiti will be three years from the date of its constitution, provided that

(i) a Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a Member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(ii) Members appointed against mid-term vacancies shall be Members for the remaining period of three years.

5. *General*

(i) The Committee may co-opt additional members, invite experts to attend its meetings and appoint sub-committees as may be deemed necessary.

(ii) the headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

(iii) The non-official members and invitees will be paid travelling and daily allowance for attending the meetings of the Samiti and the sub-committees of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

Prime Minister's Office|Cabinet Secretariat|Department of Parliamentary Affairs|Lok Sabha Secretariat|Rajya Sabha Secretariat|Planning Commission|President's Secretariat| Director of Audit, Central Revenues, New Delhi and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

RULES

New Delhi, the 17th August 1985

No. 10/2/85-CS.II.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1986 for the purpose of filling temporary vacancies in the following services/posts are published for general information :

(i) Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' cadre);

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service Grade C (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iii) Central Secretariat Stenographers' Service—Grade C (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service —Grade C; and

(v) Posts of Stenographer in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Central Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

1. A candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

NOTE 1.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts, for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services/posts for which he is competing, would be considered from a candidate unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the result of the written examination in the Employment News.

NOTE 2.—Some departments/offices of the Government of India making recruitment through this examination would require only English Stenographers and appointments to posts of Stenographers in these departments/offices on the results of this examination will be made only from amongst those who are recommended by the Commission on the basis of the Written Test and Shorthand Test in English (c. f. para 4 of Appendix I to the Rules).

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to the Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. (1) A candidate must be either :

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Cadre).

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall be permitted more than three attempts at the examination but this restriction shall be effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, the examination will mean the Stenographers Examination, the Stenographers' (Release EC|SSC Officers and ex-servicemen) Examination and the Stenographers' (ex-servicemen) Examination.

Note 2.—For the purpose of this rule a candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination once for all the Services|posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services|posts.

NOTE 3.—A candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

NOTE 4.—Notwithstanding the disqualification|cancellation of candidature the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt.

6. (A) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st January, 1986 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January, 1961 and not later than 1st January, 1968.

(B) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Stenographers (including Language Stenographers)| Clerks|Steno-typists in the various Departments|Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the offices of the Election Commission and the Central Vigilance Commission or in the Lok Sabha|Rajya Sabha Secretariat and have rendered not less than 3 years continuous service as Stenographer (including Language Stenographer)|Clerk|Steno-typist on 1st January, 1986 and continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be available to persons appointed as Stenographers on the basis of earlier examinations, held by the Union Public Service Commission in :—

(i) Central Secretariat Stenographers, Service Grade C, or

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service Grade C, or

(iii) Indian Foreign Service (B) Grade II of the Stenographers' Cadre, or

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service Grade C.

NOTE 1.—Service rendered by R.M.S., Sorters employed in Subordinate Officers of P. & T. Deptt. shall be treated as service rendered in the grade of clerk for purpose of Rule 6(B) above.

NOTE 2.—Service rendered by Service Clerks employed in Defence installations, shall not be counted for the purpose of Rule 6(B) above.

(C) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire & Ethiopia;

(viii) up to maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian Origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian Origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiv) up to a maximum of five years in the case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs|SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1986 and have been released on completion of assignment (including those assignment is due to be completed within six months from 1st January 1986) otherthan by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of Physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xv) up to a maximum of ten years in the case of ex-servicemen and commissioned Officers including ECOs|SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1986 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January 1986) other wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xvii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January 1971 and 31st March, 1973

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(B) above shall be cancelled if, after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his department either before or after taking the examination. He will however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

(ii) A stenographer (including language Stenographer) Clerk|Steno-typist who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from which he is transferred will be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible.

7. Candidates must have passed the Matriculation examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course, for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation certificate for entry into services.

NOTE 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination will NOT be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2.—In exceptional cases the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees, or those serving under Public Enterprises, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office|Department that they have applied for this Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for|appearing at the examination, their applications shall be rejected|candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Candidates must pay the fee prescribed in para 7 of the Commission's Notice.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s): or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses:

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade C of the Central

Secretariat Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service upto the required number and for appointment upto the number of unreserved vacancies in other Services/posts decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service and for appointment to vacancies in other Services/posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. Subject to other provisions contained in these Rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts at the time of his application.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for the appointment to the Service/post.

17. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to Service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of disabled ex Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

19. Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix II.

H. G. MONDAL
Under Secy.

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) General English	2 hours	100
(ii) (Essay)	2 hours	100
(iii) General Knowledge	2 hours	100

PART B—SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN ENGLISH FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST.

300 Marks

NOTE.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

2. The papers in General English and General knowledge will consist of Objective Type questions. For details including sample questions please see Candidates Information Manual appended to Commission's Notice (Annexure II).

3. The syllabus for the Written Tests and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

4. Candidates are allowed the option to answer paper (ii) 'Essay' either in Hindi (Devanagari) or in English. The option will apply to complete paper and not to a part thereof.

Candidates exercising the option to answer the Essay paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

Candidates who opt to answer the aforesaid paper in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Tests also in Hindi (Devanagari) only and candidates who opt to answer the aforesaid paper in English will be required to take the Shorthand Tests also in English only.

Question papers in Essay and General Knowledge will be set both in Hindi and in English.

NOTE 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer paper (ii) Essay of the Written Test and take Shorthand Tests in Hindi (Devanagari), should indicate their intention to do so in col. 8 of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand tests in English.

The option once exercised shall be treated as final, and no request for alteration in the said column shall be entertained.

If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used in the examination, the paper of such candidates will not be valued.

NOTE.2.—Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English Stenography and *vice versa*, after their appointment.

NOTE.3.—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangement for holding such tests are available.

5. Paper (i) General English of the Written Test will be set in English only.

6. Candidates who satisfy the minimum qualify standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 wards per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (of Part B of the Scheme below).

7. Candidate must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

8. The Commission have discreation to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

9. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discreation will be called for Shorthand Test.

10. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

11. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting

12. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the paper on Essay for the examination.

13. Candidates should use only International form of Indian numerals (e. g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

PART A

Standard and syllabus of the written test

NOTE—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English.—The Paper will be resigned to test the candidate's knowledge of English Grammar and Composition and generally their power to understand and ability to write correct English. The paper may include questions on correct use of words: easy idioms and prepositions: direct and indirect speech etc.

Essay.—Candidates will be required to write essay on two topics. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plan Indian History and Culture, general and economic geography of India, current events, everyday science and such matters of everyday observation as, may be expected of an educated person. Candidates' answeres are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

PART B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The shorthand tests in Hindi will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services|posts to which recruitment is being made through this examination

A. *The Central Secretariat Stenographers' Service.*

The Central Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows:—

Grade A: Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Grade B: Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

Grade C: Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade D: Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

Persons promoted from Grade B to Grade A are allowed a minimum pay of Rs. 775 in the scale. Persons promoted from Grade C are allowed a minimum salary of Rs. 710 in the scale.

(2) Person recruited to Grade C of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government.

(3) On the conclusion of the period of probation Government may confirm the persons concerned in his appointment or if his work or conduct in the opinion of Government has been unsatisfactory he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Persons recruited to Grade C of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Persons recruited to Grade C of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in the force from time to time in this behalf.

(6- Persons appointed to Grade C of the Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post included in the Cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Stenographers' Service Scheme.

B. *The Railway Board Secretariat Stenographers' Service*

(a) (i) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows:—

Grade A: Rs. 650(775)—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Grade B: Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

Grade C: Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade D: Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

Persons promoted from Grade B to Grade A are allowed a minimum pay of Rs. 775|- in the scale.

Persons promoted from Grade C to Grade B are allowed minimum salary of Rs. 710/- in the scale.

(ii) Persons recruited to Grade C of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Goverment. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or conduct, in the opinion of the Government of any of them has been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(ii) Persons recruited to Grade C of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(b) The Railway Board Secretariat Stenographes' Service is confined to the Ministry o Railways and staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Stenographes' Service.

(c) Officers of the Railway Board's Stenographers' Service recruited under these rules:

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) Shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(d) The candidate appointed to the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be entitled to the Privilege of Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

(e) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with Headquarters at New Delhi.

C. *Indian Foreign Service (B)—Grade II of the Stenographers cadre*

The Stenographers cadre of the I.F.S. (B) has at present four grades as follows :—

Selection Grade : Rs. 775—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Grade I : Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

Grade II . Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade III Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

(Persons promoted from Grade II are allowed a minimum salary of Rs. 710/- in the scale).

2. Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by the Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or the conduct of any of them, in the opinion of the Government has been unsatisfactorily, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

3. The officers appointed to Grade II of the S.S.C. of the I.F.S. (Branch B) will be governed by the I.F.S. Branch 'B' (RCSP) Rules, 1964, I.F.S. (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to I.F.S. 'B' officers and such other rules and orders as may be made applicable to them by the Government of India.

4. The Indian Foreign Service Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad. The offices appointed to this service are normally not liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Commerce. They are, however, liable to be posted abroad against the posts borne on the strength of their Ministries and also liable to be posted to International Commissions etc. They are liable to serve anywhere in India or outside India, including non-family stations.

5. During Service abroad IFS (B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concesions are also admissible during service abroad in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to IFS (B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Annual return air passage for children upto a maximum of two children between the age of 8 and 21 studying in Indian or one child studying in India and one child in a country other than the country of the officer's posting abroad subject to certain conditions. If a Government servant has more than two children between ages of 8 and 21 studying in India, he shall have the option to send his wife to India during the vacation in lieu of two children visiting their parents abroad. In such a case the wife of the Government servant shall be entitled to return air passage by the cheapest class available.

(iv) An allowance for the education of children upto a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(v) Outfit allowance in connection with service abroad in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnormally could climate conditions exit.

(vi) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

6. Central Civil Service (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time will apply to members of the service, subject to certain modifications. For service abroad, except in some neighbouring countries, officers are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

7. While in India Officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government Servants of equal and similar status.

8. Officers of the IFS (B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 as amended from time to time and by orders issued thereunder.

9 Officers appointed to this service are governed by the Central Civil Services ((Pension) Rules, 1972, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

D. *Armed Forces Headquarters Stenographers' Service*

The AFHQ Stenographers' Service has at present, four grades as follows :

1. Grade A Stenographers (Private Secretary) Group B—Gazetted (Section Grade).

   Scale of pay—Rs. 640 (*775)—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

   *Guaranteed minimum for those promoted from Grade B.

2. Grade B Stenographers (Senior Personal Assistants) Group B—Gazetted.
   Scale of pay—Rs. 650 (@710)-30—740—35—880—EB—40—1040.

   @Guaranteed minimum for those promoted from Grade C.

3. Grade C Stenographers (Personal Assistants) Group B—Non-Gazetted.

   Scale of pay—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

4. Grade D Stenographers—Group C

   Scale of pay—Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

2. Persons recruited direct as temporary Stenographers' Grade C (Personal Assistants) will be on probation for a period of 2 years. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and to pass such tests as the Government may from time to time prescribe.

3. Stengoraphers' Grade C recruited to AFHQ Stenographers' Service will be generally posted to any office of the AFHQ and Inter Service Organisations located in Delhi|New Delhi. They will also be liable to be posted to such other stations outside Delhi|New Delhi, where office of AFHQ|IS organisations may be located.

4. Stenographers' Grade C will be eligible for promotion to the post of Stenographers' Grade B (Senior Personal Assistants) and Stenographers' Grade B (S.P.As) will be eligible for promotion to Stenographer Grade A (Private Secretary in accordance with the rules in force from time to time.

5. Leave, Medical Aid and other conditions of service are the same as applicable to other ministerial staff employed in Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 22nd July 1985

No. E-11011|10|75-Hindi.Vol.II.—Consequent on formation of Eighth Lok Sabha and formation of a new separate Ministry comprising of Department of Textiles and Department of Supply as also the decision for giving representation to some more organisations, the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Commerce is reconstituted in the following from in supersession of Ministry of Commerce Resolution of even number dated the 23rd May, 1984 :—

Chairman

1. Ministry of Commerce

Vice-Chairman

2. Minister of State in the Ministry of Commerce.

Members

3. Shri Ajit Singh Dabhi, Member of Lok Sabha.
4. Shri P. G. Kurian, Member of Lok Sabha.
5. Smt. Krishna Kaul, Member of Rajya Sabha.
6. Shri Ram Naresh Kushwaha, Member of Rajya Sabha.
7. Member of Parliament.
8. Member of Parliament
   To be nominated by Deptt. of Official Language from among Members of the Committee of Parliament on Official Language.

Members

9. Dr. Virendra Kumar Dubey, 1595, Napier Town, Jabalpur-1 (M.P.).
10. Shri Surendra Nath Singh, Advocate, High Court, Allahabad, Allahpur, Allahabad-4 (U.P.).
11. Shri Hari Har Nath Mishra, Flat No. 2, Block No. 11, Muncipality Flats, Opp. Circuit House, Hastings Road, Allahabad (U.P.).
12. Shri K. Radhakrishan Murthy, Special Officer, Dakshin Bharat, Hindi Prachar Sabha, Hindi Sangh, Hyderabad-4.
13. Commerce Secretary
14. Secretary (Deptt. of Official Language) and Adviser to the Govt. of India
15. Joint Secretary, Department of Official Language.
16. Chief Controller of Import and Exports, New Delhi.
17. Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.
18. Chairman, State Trading Corporation of India, New Delhi.
19. Chairman, Minerals and Metals Trading Corporation of India, New Delhi.
20. Director, Exports Inspection Council, New Delhi.
21. Chairman, Trade Fair Authority of India, New Delhi.
22. Executive Director, Trade Development Authority, New Delhi.
23. Director-General, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi.
24. Chairman, Tea Board, Calcutta.
25. Chairman, Tea Trading Corporation of India, Calcutta.

26. Chairman,
Coffee Board,
Bangalore.

27. Chairman-cum-Managing Director,
Export Credit & Guarantee Corporation,
Bombay.

28. Development Commissioner,
Kandla Free Trade Zone,
Gandhi Dham,
Kutch.

29. Development Comissioner,
Santa Cruz Electronics Export
Processing Zone,
Bombay.

30. Chairman,
Indian Institute of Packaging,
Bombay.

31. Chairman,
Tobacco Board,
Guntur.

32. Chairman,
Cardamom Board,
Cochin.

33. Chairman,
Rubber Borad,
Kottayam.

34. Chairman,
Marine Products Export
Development Authority,
Cochin.

Member-Secretary

35. Director (Incharge Hindi work),
Ministry of Commerce.

2. *Funtions*

The function of the Samiti will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

3. *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of its original formation i.e. 23rd May, 1984, provided that,

(1) a Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(2) Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a Member for the residue of the term of three years.

4. *General*

(1) The Committee may coopt additional members and invite exports to attend its meeting or appoint sub-committees as may be deemed necessary.

(2) Headquarters of the Samiti will be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

5. *Travelling and other Allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the Sub-committees of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comntroller and Auditor General of India A.G.C.R. and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. RANJAN, Director

MINISTRY OF INDUSTRY & CO. AFFAIRS

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 3rd July 1985

CORRIGENDUM

(Constitution of a Panel for the Steel Castings Industry)

No. 13026(41)|84-EIM—In continuation to this Ministry Resolution dated 17-1-1985 regarding nomination of the members to the Panel for Steel Castings, Government of India has decided to nominate Shri Lakshman Mishra, IA, DGTD and Shri D. K. Dutta, Joint General Manager, Ordnance Factory, Muradnagar (U.P.) in place of Shri A. B. Malik, IA, DGTD and Shri R. Wanchoo, DGOF, Calcutta appearing against serial nos. 8 & 17. The aforesaid resolution may be deemed to be amended to the extent cited below :—

FOR

8. Shri A. B. Malik,
IA, DGTD.

17. Shri R. Wanchoo,
DGOF, Calcutta.

13. Shri G. S. Bhakta,
Director (Metals),
DCSSI, Nirman Bhavan
New Delhi.

READ

8. Shri Lakshman Mishra,
IA, DGTD.

17. Shri D. K. Dutta,
Joint General Manager,
Ordnance Factory,
Muradnagar (U.P.).

13. Shri J. N. Bhakta,
Director (Metals),
DCSSI, Nirman Bhavan,
New Delhi.

D. S. POONIA, Under Secy.

SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA

SWASTHYA VIBHAG

New Delhi, the 10th June 1985

No. Z-16025|2|83-H.—In order to make the field experience available to the Delhi Hospitals Board in its deliberations, it has been decided by the Government of India to replace the existing non-official members by the following members on the said Board constituted vide this Ministry's resolution No. Z.28015|7|76-H. dated the 11th March, 1976. (These members should be included after Serial No. 9 of Para of the above mentioned Resolution) :—

(10) Dr. H. K. Chuttani,
Director,
G. B. Pant Hospital,
New Delhi.

(11) Dr. (Miss) S. Padmavati,
A-1|116, Safdarjang Enclave,
New Delhi.

(12) Dr. S. R. K. Malik,
D-44, Kotla Road,
New Delhi.

(12-A) Dr. Arjun Sehgal,
B-22, Kailash Colony,
New Delhi.

2. The other terms and conditions of Delhi Hospitals Board remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministers| Departments of Government of India| Directorate General of Health Services|Delhi Administration| Delhi Municipal Corporation| P.M.'s Office|Lok Sabha Secretariat|Rajya Sabha Secretariat|Chairman and member of Delhi Hospitals Board.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. R. DASGUPTA, Jt. Secy.

New Delhi, the 19th July 1985

No. P-11016|27|84-MCH.—Consequent upon the formation of new Lok Sabha, the Government of India is pleased to reconstitute the Committee of the Countess of Dufferin's Fund with immediate effect, superseding the Committee constituted earlier *vide* Ministry of Health and Family Welfare Resolution No. P-11016|27|84-MCH dated 19-10-1984.

The composition of the reconstituted Committee shall be as follows :—

Chairman

1. Minister of State for Health & Family Welfare

Non-Official Members

2. Smt. Sumati Oraon (M.P.) Lok Sabha
3. Smt. Vyjantimala Bali (M.P.) Lok Sabha
4. Smt Monika Das (M.P.) Rajya Sabha

Members

5. Additional Secretary & Commissioner (FW)
6. Additional Secretary (Health)
7. Joint Secretary (Incharge of MCH Division)
8. Deputy Commissioner (MCH)
9. Representative of the Ministry of Finance
10. Deputy Director General (Medical) D.G.H.S.
11. Nursing Advisor (DGHS)
12. Principal, Lady Hardinge Medical College, New Delhi.
13. Principal, Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi.
14. Assistant Commissioner (MCH), Department of Family Welfare.

2. The Committee will advise the Central Government in the Utilisation and administration of the income from the Countess of Dufferin's Fund.

3. The tenure of the Committee will be two years.

4 The expenditure on T.A. & D.A. of official members shall be met from the source from which their salary is drawn. The T.A. & D.A. of non-official members for attending the meetings of the Committee shall be regulated in accordance with the provision of S.R. 190 and orders of the Government of India thereunder as issued from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments|Union Territories. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. SUDHAKAR, Jt. Secy

DEPARTMENT OF CULTURE

New Delhi, the 25th July 1985

RESOLUTION

No. F-14-3|83-CH.I.—With reference to this department's resolution No. F-14-3|83-CH.I dated 16th July, 1984 regarding formation of a Programme Advisory Committee for the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow, the President is pleased to agree to the resolution being amended to the effect that in place of the existing entry against S. No. 2, the following entry may be substituted.

Secretary,
Department of Culture,
Government of India,
Shastri Bhawan,
New Delhi.

2. The other terms of the resolution remain unaltered.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Project Officer, National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow.

ORDERED also that the Resolution may be published in the Gazette of India for general information.

K. D. GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 17th July 1985

RESOLUTION

No. Hindi|Samiti|83|38|5.—In continuation to Ministry of Railways' (Railway Board's) Resolution of even number dated 3-10-83 and changes made there-in from time to time, Shri Shivaji Rao Agde, Advocate, Founder Secretary, Mazharul Haque Memorial Trust, Chapra (Bihar) is hereby nominated as a member of Railway Hindi Salahkar Samiti constituted under Ministry of Railways.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts. and Ministries and Departments of Government of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. N. WANCHOO
Secy., Railway Board
& *ex-officio* Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 11th July 1985

RESOLUTION

No E-11015|4|84-Hindi.—In supersession of Ministry of Works and Housing Resolution No. E-11015|8|80-Hindi dated the 22nd June 1981 and 17th December, 1981 and Resolution No. 11015|3|82-Hindi date 16th April, 1982 and 4th August, 1983 the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Works and Housing. The constitution, function etc. of the samiti will be as under :—

Chairman

1. Minister of Works and Housing

Un-official member

Members of Parliamentary Committee of Official Language

Member

2.

3. (to be nominated)

Members of Parliament (Lok Sabha)

Member

4. Shri Rame Deo Rai, 306, Bihar Bhawan, New Delhi.
5. Shri Bharat Singh, B-1|153, Paschim Vihar, New Delhi.

Members of Parliament (Rajya Sabha)

Member

6. Shri Hari Singh Nalwa,
14-A, Ferozeshah Road,
New Delhi.

7. Shri Biswa Goswami,
177, South Avenue,
New Delhi.

Representative of Organisation etc.

Members

8. Shri Prabhat Shastri,
Pradhan Mantri,
Hindi Sahitya Sammelan Prayag,
12, Samelan Marg, Allahabad.

9. Shri Shankar Rao Londhe,
Pradhan Mantri,
Rashtrabhasha Prachar Samiti, Hindi Nagar,
Vardha (Maharashtra) 442003.

10. Shri Ram Lal Parikh,
Secretary,
All India Hindi Sanstha Sangh,
75, Jawahar Lal Nehru Marg,
New Delhi-110002.

11. Shri Sudhakar Pandey, Pradhan Mantri,
Nagri Pracharni Sabha, Varanasi.

12. Shri Surendra Nath Singh, Advocate,
High Court, Allahabad.

13. Shri Upendra Shukla, Special Editors Blitz,
U. P. Bureau Bharwari Allahabad.

14. Shri Amar Nath Sharda,
Plot No. 201, Bandra Dhupchaon Cooperative Housing Society,
28th Linking Road, Bandra,
Bombay.

15. Shri Shankar Dyal Singh,
Ex. M. P. Prjcet Publication Near G. F. Car, Patna,
Bihar.

16. Shri Sanjay Singh,
Near Water Tank, Patliputra Colony, Patna,
Bihar.

Officials

Members

17. Secretary Ministry of Works & Housing

18. Secretary, Department of Official Language & Hindi Adviser to the Government of India

19. Joint Secretary (WA) Ministry of Works & Housing

20. Joint Secretary (H&H.S) Ministry of Works & Housing

21. Joint Secretary (UD) Ministry of Works & Housing

22. Joint Secretary (F) Ministry of Works & H ousing

22. Jiont Secretary (F) Ministry of Works & Housing

24. Joint Secretary Deptt. of Official Language

25. Director General (Works) C.P.W.D., New Delhi

26. Director of Estates, New Delhi

27. Director of Printing, New Delhi.

28. Director National Buildings Organisation

29. Land and Development Officer, New Delhi.

30. Controller of Publication, New Delhi

31. Controller of Stationary, Calcutta.

32. Chief Planner, Town and Country Planning Organisation

33. Chairman cum Managing Director, Hindustan Prefab Ltd.

34. Chairman cum Managing Director, National Building Construction Corporation, New Delhi

35. Chairman-cum Managing Director, Housing and Urban Development Corporation, New Delhi

36 Secretary, Delhi Urban Art Commission, New Delhi

37. Vice Chairman, Delhi Development Authority, New Delhi

38. Deputy Secretary (Admn.)

Functions

The functions of the Samiti will be to implement the Official Languages Policy of the Government and render advice in respect of the progressive use of Hindi in the Official Work of the Ministry of Allied matters.

Tenure

The term of the Samiti will be three years from the date of its composition provided that :—

(a) A member, who is a member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a member of Parliament.

(b) Ex-Official members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises in the Samiti due to death or resignation of members, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term.

General

(i) The Samiti may co-opt additional members or appoint Sub-Committees.

(ii) The Headquarter of the Samiti Shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

Travelling and other allowances

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Presidents Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. M. GUPTA, Dy. Secy.
and Member-Secretary, Hindi Salakar Samiti.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985